न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 179–तीन/1992 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–3–1992 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 171/निगरानी/1985–86

.....

1–मदनलाल पिता गंगासहाय
2–रघुवीर पिता हरजीराम (मृत वारिसान :–)
अ–राधेश्याम पुत्र स्व0श्री रघुवीर
ब–रमेशचन्द्र पुत्र स्व0श्री रघुवीर
स–श्रीमती गीताबाई पुत्री स्व0 श्री रघुवीर
द–श्रीमती श्यामबाई पुत्री स्व0 श्री रघुवीर
निवासीगण ग्राम झिरनिया जिला खरगोन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–फत्तू पिता नाना भील (मृत वारिसान :–)
अ–कमलाबाई बेवा फत्तू
ब–सेवकराम पुत्र फत्तू
दोनों निवासीगण ग्राम निहालदरी तहसील भीकनगांव
जिला खरगोन म0प्र0
स–नंदराम पुत्र फत्तू
निवासी ग्राम जामली तहसील धंधाना जिला पूर्व निमाड़
जिला खण्डवा
3–जीतू पिता नाना भील (मृत वारिसान :–)
अ–चैतराम पुत्र जीतू भील
ब–बालिराम पुत्र जीतू भील
स–मुफसीराम पुत्र जीतू भील
तीनों निवासीगण ग्राम नहालदरी तहसील झिरन्या
जिला खरगोन म0प्र0
4–बाबू पिता किशन भील
5–मांग्या पिता किशन भील (मृत वारिसान :–)
अ–स्वर्गीय आसाराम पुत्र मांग्या के वारिसान
1–पप्पू अव्यस्क पुत्र आसाराम व सरपरस्ती माता गंगाबाई
2–कंचनबाई पुत्री आसाराम

3–गंगाबाई वेवा आसाराम
निवासी मुकाम नहालदरी पोस्ट चिरिया
तहसील झिरन्या जिला पश्चिम निमाड़
ब–जगदीश पुत्र मांग्या
स–दरियाव पुत्र मांग्या
द–भोजनबाई पत्नी राजाराम निवासी कावधाखेड़ी
पोस्ट वरूड तहसील खण्डवा जिला खण्डवा
इ–द्रोपदी बाई पत्नी फजीरा
निवासी पोस्ट रतनपुर तहसील झिरन्या
एफ–सुखीबाई पत्नी शंकर
मु0पो0चैतपुर तहसील झिरन्या
जी–सुमनबाई पत्नी कास्या
मु0पो0चैतपुर तहसील झिरन्या
एच–सहाज्या बाई पुत्री मांग्या
निवासी नहालकरी पोस्ट चिरिया तहसील झिरन्या
6–श्याणीबाई बेवा किशन (मृत वारिसान :–)
फुन्दीबाई पति चैन्या भील
निवासी मुनासा तहसील हरदा
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अधिवक्ता–अनावेदक कमांक 1

श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अधिवक्ता–अनावेदक कमांक 5

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के प्रकाश में प्रकरण समाप्त किया गया, तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रचलित याचिका निरस्त कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–3–1992 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण समाप्त करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है था उस समय प्रकरण में साक्ष्य होना था, इसलिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी आवेदकगण को कब हुई इसका कोई उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा आदेश में नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर के

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् आवेदकगण की ओर से दिनांक 9–1–1986 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से मात्र 11 दिवस के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति मे कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने के लिये कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–3–1992 एवं कलेक्टर जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–1986 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण करने के लिये कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर